न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी का नाम :– यशपाल आहूजा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 608 / 2019

1 गुरदास सिंह पुत्र गुरतेज सिंह उर्फ तेजा सिंह जाति जट सिख निवासी मोरजण्डखारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 जसप्रीत कौर पत्नी गुरदास सिंह जाति जट सिख निवासी मोरजण्डखारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

वादीगण

बनाम

1 गुरतेज सिंह उर्फ तेजा सिंह पुत्र कौर सिंह जाति जट सिख निवासी मोरजण्डखारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 मनजीत कौर पत्नी तेजा सिंह जाति जट सिख निवासी मोरजण्डखारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

3 तरसेम सिंह पुत्र अंग्रेज सिंह जाति जट सिख निवासी मोरजण्डखारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 ,53राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :–

1 श्री रामकुमार सिहाग, राकेश कुमार सिहाग अधिवक्ता (वादीगण)

2 श्री रजनीकान्त अधिवक्ता (प्रतिवादी संख्या 1 ता 3)

3 राजपैरोकार वास्ते स्टेट

दिनांक :– 29.07.19

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व अन्तर्गत 88,53 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि चक 37एम.एम.के. जमाबदी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 3 / 24 मु.न. 42 कि.न. 14, 17 / 2 में 0.316 है. नहरी कुल 0.316 है. नहरी आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 0.158 है. आराजी दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबदी संलग्न वाद पत्र है।चक 37 एम.एम.के. जमाबदी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 4 / 35 मु.न. 40 कि.न. 16 / 1 में 0.101 है. नहरी, कि.न. 17 ता 19, 22 ता 25 सालम कुल खाता 1.872 है. नहरी मय खाला आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 0.936 है. आराजी दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबदी संलग्न वाद पत्र है।चक 37 एम.एम.के. जमाबदी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 5 / 40 मु.न. 48 कि.न. 15 / 2, 16, 17 / 1 में 0.392 है. नहरी मय खाला कुल खाता 0.392 है. नहरी मय खाला आराजी मे से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 0.196 है. आराजी दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबदी संलग्न वाद पत्र है।चक 37 एम.एम.के. जमाबदी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 6 / 78 मु.न 48 कि.न. 25 / 3 में 0.051 है. नहरी कुल 0.051 है. नहरी आराजी मे से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 0.025 है. आराजी दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है।चक 37 एम.एम.के जमाबदी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 7 / 8 मु.न. 46 कि.न. 1 ता 5, 6 / 2 में 1.290 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता कुल खाता 1.290 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता आराजी मे से प्रतिवादी संख्या के नाम 0.645 है. आराजी दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबदी संलग्न वाद पत्र है।प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वादाधीन आराज के अलावा चक 2 यू एम डब्लयू में 4 बीघा व चक 42 एम एम के में 2–10 बीघा आराजी दर्ज कागजात माल है जो कि प्रतिवागण को वादाधीन आराजी

उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर

Scanned by CamScanner

विरासतन प्राप्त हुयी है एव वादीगण एव प्रतिवादीगण हिन्दू विधि के मिताक्षरा स्कूल से शासित है जहां प्रत्येक सन्तान को सहदायिकी सम्पति में जन्म से ही कानूनन हक व हिस्सा बनता है, वादीगण एव प्रतिवादीगण ने वादाधीन आराजी का पारिवारिक बंटवारा कर लिया है एव मुताबिक पारिवारिक बंटवारानूसार प्राप्त आराजी को शांतिपूर्वक काश्त करते आ रहे है। दावा की मद संख्या 8 में कब्जा काश्त दर्शायी गयी। वगैरा–वगैरा।

लिहाजा वाद वादीगण मय शपथ पत्र दो प्रतियों मे पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे:–

(क) यह कि **चक 37 एम.एम.के. खाता संख्या 3/24 मु.न. 42** कि.न. 14 में 0.158 है. नहरी, कुल 0.158 है. नहरी, **चक 37 एम.एम.के. खाता संख्या 4/35 मु.न. 40** कि.न. 16/1 में 0.088 है. नहरी, कि.न. 17, 18, 19 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी, कि.न. 22 में 0.089 है. नहरी कुल 0.936 है. नहरी **कुल दोनों खातों की 1.094 है. नहरी आराजी** का वादी संख्या 1 गुरदास सिह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एव उक्त खातों से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे।

(ख) यह कि **चक 37 एम.एम.के. खाता संख्या 7/8 मु.न. 46** कि.न. 1 में 0.253 है. नहरी, कि.न. 2 में 0.253 है. नहरी, कि.न. 3 में 0.139 है. नहरी कुल 0.645 है. नहरी, **चक 37 एम.एम.के. खाता संख्या 6/78 मु.न. 48** कि.न. 25/3 में 0.025 है. नहरी कुल 0.025 हे. नहरी, **चक 37 एम.एम.के. खाता संख्या 5/40 मु.न. 48** कि.न. 15/2 में 0.038 है. नहरी, कि.न. 16 में 0.145 है. नहरी, 0.013 है. खाला कुल 0.196 है. नहरी मय खाला **कुल तीनों खातों की 0.866 है. आराजी** की वादी संख्या 2 जसप्रीत कौर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एव उकत खातों से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे।

(ग) यह कि अनूतोष की मद संख्या क, ख, के अनूसार वादीगण का खाता अलग अलग कायम किया जावे एवे रेवेन्यू अलग से कायम की जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने जरिये वकील उपस्थित होकर इकबाल दावा पेश कर वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। जवाब स्टेट पेश हुआ , राज्यहित को ध्यान में रखते हुये वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादीगण ने मुताबिक पारिवारिक बंटवारा वाद पत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी ने वादी के कथनों में अपनी सहमति प्रकट की, एव वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया हमनें पत्रावली का अवलोकन किया वादी एव प्रतिवादी के मध्य परिवारिक बंटवारा हुआ है एंव वादी एव प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है एवं मुताबिक पारिवारिक बंटवारा वादी एव प्रतिवादी ने एक दूसरे की कब्जा काश्त को स्वीकार किया है, वादाधीन आराजी संयुक्त परिवार की सम्पति है, एव वादी द्वारा सहदायिकी सम्पति में घोषणा एव खाता तकसीम की मांग की है ,एव प्रतिवादी संख्या 1 व 3 का खाता अलग कायम है जिसमें किला विशेष आराजी पर कब्जा काश्त के समबध में कोई विरोध नही है, इस प्रकार वादीगण ने अपने दावा को दस्तावेजी साक्ष्यों, ईकबाल कथनों व बहस के आधार पर बखूबी साबित किया है एवं मैं वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता हूं।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि :– (क) **चक 37 एम.एम.के.**

उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर

Scanned by CamScanner

खाता संख्या 3/24 मु.न. 42 कि.न. 14 में 0.158 है. नहरी, कुल 0.158 है. नहरी, **चक 37 एम.एम.के. खाता संख्या 4/35 मु.न. 40** कि.न. 16/1 में 0.088 है. नहरी, कि.न. 17, 18, 19 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी, कि.न. 22 में 0.089 है. नहरी कुल 0.936 है. नहरी **कुल दोनों खातों की 1.094 है. नहरी आराजी** का वादी संख्या 1 गुरदास सिह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव उक्त खातों से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है।

(ख) **चक 37 एम.एम.के. खाता संख्या 7/8 मु.न. 46** कि.न. 1 में 0.253 है. नहरी, कि.न. 2 में 0.253 है. नहरी, कि.न. 3 में 0.139 है. नहरी कुल 0.645 है. नहरी, **चक 37 एम.एम.के. खाता संख्या 6/78 मु.न. 48** कि.न. 25/3 में 0.025 है. नहरी कुल 0.025 है. नहरी, **चक 37 एम.एम.के. खाता संख्या 5/40 मु.न. 48** कि.न. 15/2 में 0.038 है. नहरी, कि.न. 16 में 0.145 है. नहरी, 0.013 है. खाला कुल 0.196 है. नहरी मय खाला **कुल तीनों खातों की 0.866 है. आराजी** की वादी संख्या 2 जसप्रीत कौर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव उकत खातों से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है।

उक्तानूसार ही वादीगण का खाता अलग अलग कायम किया जाकर वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। निर्धारित स्टाम्प डयूटी पेश होने पर उक्तानुसार ही पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21/7/14 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

यशपाल आहूजा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

संख्याक–01

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– यशपाल आहूजा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 608/2019

1 गुरदास सिंह पुत्र गुरतेज सिंह उर्फ तेजा सिंह जाति जट सिख निवासी मोरजण्डखारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 जसप्रीत कौर पत्नी गुरदास सिंह जाति जट सिख निवासी मोरजण्डखारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर वादीगण

बनाम

1 गुरतेज सिंह उर्फ तेजा सिंह पुत्र कौर सिंह जाति जट सिख निवासी मोरजण्डखारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 मनजीत कौर पत्नी तेजा सिंह जाति जट सिख निवासी मोरजण्डखारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

3 तरसेम सिंह पुत्र अंग्रेज सिंह जाति जट सिख निवासी मोरजण्डखारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 ,53राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

डिक्री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ यशपाल आहूजा वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री रामकुमार सिहाग,राकेश कुमार सिहाग वकील वादीगण मिन जामिन मुद्दई श्री रजनीकान्त वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुद्दायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि:– (क) **चक 37 एम.एम.के. खाता संख्या 3/24 मु.न. 42** कि.न. 14 में 0.158 है. नहरी, कुल 0.158 है. नहरी, **चक 37 एम.एम.के. खाता संख्या 4/35 मु.न. 40** कि.न. 16/1 में 0.088 है. नहरी, कि.न. 17, 18, 19 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी, कि.न. 22 में 0.089 है. नहरी कुल 0.936 है. नहरी **कुल दोनों खातों की 1.094 है. नहरी आराजी** का वादी संख्या 1 गुरदास सिह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव उक्त खातों से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है।(ख)**चक 37 एम.एम.के. खाता संख्या 7/8 मु.न. 46** कि.न. 1 में 0.253 है. नहरी, कि.न. 2 में 0.253 है. नहरी, कि.न. 3 में 0.139 है. नहरी कुल 0.645 है. नहरी, **चक 37 एम.एम.के. खाता संख्या 6/78 मु.न. 48** कि.न. 25/3 में 0.025 है. नहरी कुल 0.025 है. नहरी, **चक 37 एम.एम.के. खाता संख्या 5/40 मु.न. 48** कि.न. 15/2 में 0.038 है. नहरी, कि.न. 16 में 0.145 है. नहरी, 0.013 है. खाला कुल 0.196 है. नहरी मय खाला **कुल तीनों खातों की 0.866 है. आराजी** की वादी संख्या 2 जसप्रीत कौर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव उकत खातों से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है।

उक्तानुसार ही वादीगण का खाता अलग अलग कायम किया जाकर वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। बसख्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 21.07.19 को जारी किया गया।

यशपाल आहूजा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner